

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

वन मित्र कॉल सेंटर- 920 800 8000

5 पंचशील पार्क, चकराता रोड़, देहरादून टेलीफैक्स : 0135-2761077 ई-मेल: ceoukcampa@gmail.com, ceocampa-forest-uk@nic.in
www.www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 352 / 3-2/16-17
सेवा में,

दिनांक, 14 सितम्बर, 2016

- | | |
|--|--|
| 1. प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार | 2. प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून | 4. प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी |
| 5. प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल | 6. प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा |

विषय :- मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम मद में वर्ष 2016-17 की स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड का पत्रांक 805/3-6 दिनांक, 14.09.2016

महोदय,

उत्तराखण्ड कैम्पा संचालन समिति की दिनांक 26.08.2016 को संपन्न 11 वीं बैठक में वर्ष 2016-17 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत बंदर जनित समस्या के निराकरण हेतु Construction, Management and Operational Cost of Resuce Center मद के अंतर्गत कुल 500 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त उल्लेखित मद के अन्तर्गत स्वीकृत/प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि की आहरण सीमा नई बैकिंग प्रणाली के तहत उनके बैंक खाते में निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है:-

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	कार्यमद	विवरण	भौतिक लक्ष्य (संख्या)	अवमुक्त धनराशि (लाख ₹ में)
1	हरिद्वार वन प्रभाग	मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम	Construction, Management and Operational Cost of Resuce Center	1	30.05
2.	सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा	मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम	Construction, Management and Operational Cost of Resuce Center	1	50.00
3.	देहरादून वन प्रभाग	मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम	विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को बंदर जनित समस्या के निराकरण /बंदर पकड़ने हेतु (₹ 5.00 लाख प्रत्येक वन प्रभाग हेतु)।	1	5
4.	हरिद्वार वन प्रभाग			1	5
5.	हल्द्वानी वन प्रभाग			1	5
6.	नैनीताल वन प्रभाग			1	5
7.	अल्मोड़ा वन प्रभाग			1	5
			योग		105.05

अवमुक्त धनराशि का व्यय, निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए, किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

- अवमुक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार उपरोक्त स्वीकृत कैम्पा मदों में ही किया जाय। स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में धनराशि का व्यय न की जाय।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाए।
- उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
- प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
- कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए।

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..


... ..

... ..

... ..

... ..

6. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
7. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई-ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
11. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
12. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
13. उपरोक्त कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
14. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
15. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
16. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
17. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
18. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

भवदीय,

 (समीर सिन्हा)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- /3-2/2016-17 दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन एवं शिवालिक जोन, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं वृत्त एवं शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

(समीर सिन्हा)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 उत्तराखण्ड कैम्पा